राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1502/2024

राजेश तंवर

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव (प्रशासन), राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण नि.लि. विद्युत भवन, जयपुर।
2. मुख्य अभियंता (T&C/MPT &S) राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण नि.लि., जयपुर।
3. सहायक अभियंता (O&M) राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण नि.लि.,बीकानेर, राजस्थान।
4. बजरंग लाल छीपा, कनिष्ठ अभियंता–प्रथम, हाल पदस्थापित कार्यालय XEN (400 KV GSS) बीकानेर राजस्थान।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 05.04.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री मनोज ओजला, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री राहुल लोढा, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में कनिष्ठ अभियंता प्रथम के पद पर कार्यालय XEN (400 KV GSS) बीकानेर में कार्यरत है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण आलोच्य आदेश दिनांक 15.03.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा वर्तमान पदस्थापित स्थान से XEN (220 KV GSS) फलोदी में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि आलौच्य आदेश स्थानान्तरण पर प्रतिबन्ध की अवधि में जारी किया गया है। प्रतिबन्ध अवधि के दौरान केवल मात्र मुख्यमंत्री महोदय से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही स्थानान्तरण किये जा सकते हैं। वर्तमान आलोच्य आदेश पारित किये जाने में मुख्यमंत्री महोदय की स्वीकृति प्राप्त नही की गयी है। इस प्रकार किया गया स्थानान्तरण अनुचित है। उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 बजरंग लाल छीपा को समंजित करने की दृष्टि से अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है, जो उचित नहीं है।
3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अधिवक्ता का यह कथन रहा है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर किया गया है। उनका यह भी कथन

रहा है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण प्रशासनिक आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है, जिसमें अधिकरण द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता।

4. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

5. प्रत्यर्थी निगम की ओर से अधिवक्ता ने अपनी बहस के दौरान स्थानांतरण स्वीकृति के सम्बन्ध में दस्तावेज प्रस्तुत किये है, जिससे प्रकट होता है कि अपीलार्थी के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री स्तर से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। ऐसे में स्थानान्तरण पर प्रतिबन्ध की अवधि के दौरान उचित कार्यवाही कर स्थानांतरण आदेश पारित किया जाना प्रकट होता है। जहां तक निजी प्रत्यर्थी को अपीलार्थी के स्थान पर पदस्थापित किये जाने का प्रश्न है, इस संबंध में यह नहीं माना जा सकता कि निजी प्रत्यर्थी को लाभ देने के लिये अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया हो। नियोक्ता को अधिकार है कि वह अपने विवेक से यह निर्णय ले सकता है कि प्रशासनिक आवश्यकता के दृष्टिगत किस कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर लेनी है। नियोक्ता द्वारा लिए गए निर्णय में तभी हस्तक्षेप किया जा सकता, जब वह निर्णय नियम विरूद्ध हो अथवा कोई दुर्भावना से प्रेरित हो। हम आलोच्य आदेश में कोई नियम विरूद्धता या दुर्भावना होना नहीं पाते है। यह भी प्रकट हुआ है कि अपीलार्थी वर्तमान स्थान पर जून, 2021 से कार्यरत है। ऐसे में वर्तमान पद पर अपीलार्थी को उचित समय तक पदस्थापित रखने के बाद स्थानान्तरण किया गया है। हमारे समक्ष ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं हुआ है, जिसके आधार पर आलोच्य आदेश में हस्तक्षेप किया जा सके।

6. उपर्युक्त विवेचना के आधार पर हम इस अपील में कोई बल नहीं पाते है। अतः अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)